कोरोना संक्रमण के डर से ये बदलाव

बिना शादियों के डिस्पोजल की बिक्री पांच गुना बढ़ी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

ना शादियां हो रही है और ना ही सामाजिक सहित अन्य कार्यक्रम। फिर भी शहर में डिस्पोजल की बिक्री पांच गुना तक बढ़ गई है। दरअसल हाइजनिक होने और कोरोना संक्रमण ना फैले होटलों और घरों में डिस्पोजल का इस्तेमाल हो रहा है। इसने इसकी बिक्री बढ़ा दी है।

कोरोना वायरस को देखते हुए होटलों में कांच के गिलासों की जगह पेपर ग्लास का उपयोग हो रहा है। वहीं चाय की दुकानों में भी चाय डिस्पोजल में ही दी जा रही है। इससे इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। चूंकि डिमांड बढ़ गई है। इससे रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। कांच के बर्तनों में कोरोना फैलने का डर रहता है। इससे लोग डिस्पोजल का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा था तब नगर निगम और सामाजिक संस्थाओं ने भोजन के पैकेट बांटे थे, तब भी डिस्पोजल एवं पॉलीथिन में बांटे थे।

कीमतें भी दोगुना हो गई- इधर बिक्री बढ़ने के साथ ही कीमतें भी बढ़ गई हैं। 200 एमएल का पानी का गिलास पहले जहां 10 से 13 रुपए (प्रति पैकेट 50 गिलास) में आता था। वहीं वो 25 से 30 रुपए में आ रहा है।

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम। गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व
डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग
व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त
सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। निगम आयुक्त ने
बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हेण्डल सहित व हेण्डल रहित
पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे
साथ ही प्लास्टिक व थर्माकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

साढ़े सात किलो पॉलिथीन जब्त

रतलाम ● नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलिथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किए जाने के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इंडस्ट्रीज एरिया स्थित श्रीराम प्लास्टिक द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलिथीन का निर्माण करने पर निगम के स्पॉट फाईन दल ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 10 हजार का जुर्माना कर 750 किलो पॉलिथीन जब्त की साथ ही साईं लीला इण्डस्ट्रीज को सील किया गया। इसके अलावा खुले में गंदगी करने पर नाहरपुरा क्षेत्र में श्री रेडियो पर 500 रुपए का स्पॉट फाईन किया गया।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार इन्दौर समाचार पृष्ठ 14 दिनांक 19/03/2021

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

रतलाम। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर राकेश ज्यूस गीता मंदिर रोड पर 2500, परीणित जैन धानमण्डी पर 1500, हरिश अग्रवाल शहर सराय पर 500, मुन्नाभाई, राजकमल, हीराबाई, राजूबाई नौलाईपुरा, अब्दुल रज्जाक कोर्ट तिराहा पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर 18 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत लड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहता के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

रतलाम। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर राकेश ज्यूस गीता मंदिर रोड पर 2500, परीणित जैन धानमण्डी पर 1500, हरिश अग्रवाल शहर सराय पर 500, मुन्नाभाई, राजकमल, हीराबाई, राजूबाई नौलाईपुरा, अब्दुल रज्जाक कोर्ट तिराहा पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर 18 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत लड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहता के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट आदि के द्वारा की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है, वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें, यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है, तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

मास्क जीवन बचाने का साधन है: विधायक काश्यप

- ग्रामीणजन शहर आएं तो बिना मास्क के न निकलें - कलेक्टर श्री डाड ने जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्देश दिए

सिंहम रिपोर्टर ☐ रतलाम

जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, एडीएम श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम जावरा राहुल धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कालेज डीन डा. शशि गांधी, सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। मंदसौर सांसद डा. सुधीर गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रुप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10.00 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रुप से बन्द किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सेम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। अतः विवाह समारोह आदि में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए। कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्कीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था मे पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उद्यापना के कार्यक्रम को चलित उद्यापने के रुप में आयोजित किया जा सकेगा जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि वे जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें। विधायक श्री काश्यप ने शहर में बिगड़ती ट्राफिक व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने नगर पालिक निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में खुदाई कार्य से पूर्व जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाते हुए अनुमति ली जाए एवं इसके बाद ही खुदाई सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाए। एसडीएम जावरा श्री धोटे ने बताया कि जावरा में चहल्लुम क्षेत्र में होली के समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर श्री डाड ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम को निर्देशित किया कि मौका-मुआयना कर उचित कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर महेन्द्र गादिया, गोविन्द काकानी, झमक भरगट, मनोज झालानी, डा. गौरव बोरीवाल, डा. प्रमोद प्रजापति, सुरेन्द्र चत्तर, सुरेन्द्र सुरेका, संजय पारख, अमित अग्रवाल, आशीष पालीवाल, राजेश दरख, जगदीश मंत्री, अजय भण्डारी, राजेश जैन आदि उपस्थित रहे।

सिंहम - 19

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– इन्दौर समाचार पृष्ठ 21 दिनांक 19/03/2021

मास्क जीवन बचाने का साधन है : विधायक काश्यप

रतलाम। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, एडीएम श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम जावरा राहुल धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कालेज डीन डा. शशि गांधी, सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। मंदसौर सांसद डा. सुधीर गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रुप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10.00 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रुप से बन्द किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सेम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। अतः विवाह समारोह आदि में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए।

कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था मे पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रुप में आयोजित किया जा सकेगा जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। आगामी समय में रेलवे स्टेशन पर खासकर बड़ौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रुप से की जाएगी। इन्दौर-19

वार्ड क्रमांक 1 व 29 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड, नगर के 14 वार्डों बने जीरो वेस्ट वार्ड

रतलाम । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 18 मार्च गुरूवार से वार्ड क्रमांक 01 व 29 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।जीरो वेस्ट वार्ड 1, 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 41 व 44 में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहुचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टेर्क्चिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। देश 19

जीरो वेस्ट की श्रेणी में अब वार्ड 35 व 39 भी, 14 वार्ड आ चुके हैं इस श्रेणी में

रतलाम | नगर निगम ने वार्ड 35 और 39 को भी जीरो वेस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है। इनके सहित अब तक 16 वार्ड जीरो वेस्ट हो चुके हैं। इसके पहले 1, 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड के निर्देश पर शुक्रवार से वार्ड 35 व 39 में भी काम जीरो वेस्ट के लिए काम प्रारंभ हो गया है। उधर आयुक्त ने इंडस्ट्रीज एरिया स्थित श्रीराम प्लास्टिक द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन बनाने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं फैक्टरी से 750 किलो पॉलीथिन भी जब्त की। एक अन्य उद्योग सांई लीला इंडस्ट्रीज को सील कर दिया है। वहीं श्री रेडियो पर स्पॉट फाइन भी लगाया गया।

भास्कर

कोरोना का कहर बढ़ रहा है निरंतर

लैब जांच में 39 सैम्पल पाजिटिव

रतलाम ● स्वदेश समाचार

जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। प्रशासन ने भी बढ़ती संख्या को देखते हुए मास्क लगाने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निरंतर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। गुरुवार को लैब जांच में 39 सैम्पल कोरोना पॉजिटिव के पाए गए, जिससे एक बार फिर जिले में कोरोना से भयभीत होने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कहीं गर्मी के प्रकोप के साथ ही कोरोना का प्रभाव भी कहीं जोर दिखाना प्रारंभ न कर दे। पॉजिटिव मिले 39 सैम्पल में रतलाम के अंबिका नगर, वीआईपी नगर, ओल्ड रेलवे कॉलोनी, सुयोग परिसर, लक्ष्मी नगर, टाटा नगर, इंद्रलोक नगर, कोठारी वास, प्रताप नगर, रामगढ़, कस्तूरबा नगर, अनमोल नगर, न्यू काजीपुरा, ब्राह्मणों की गली, मनीष नगर, कलीमी नगर, इंदिरा कॉलोनी, राजस्व कॉलोनी, शिवपुर हाउस कंपाउंड, पीएनटी कॉलोनी, वरदान नगर, इंदिरा नगर, शक्ति नगर, शहर सराय, ग्राम लसूड़िया खेड़ी, लसूड़िया सूरजमल, ग्राम चौराना, जावरा का बड़ा मालीपुरा, सुगनश्री कॉलोनी, मेवातीपुरा, कोठी बाजार, ग्राम पाताखेड़ी के व्यक्ति सम्मिलित है।

गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार 686 मरीजों के सैम्पल मेडिकल कॉलेज की लैब से आना शेष है। 13 पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 222 शेष है। अभी तक पॉजिटिव आए सैम्पलों की संख्या 4 हजार 707 है तथा एक्टिव कंटेनमेंट एरिये की संख्या 245 है। अभी तक कोरोना के संक्रमण के संदिग्ध केसों की जांच संख्या 86 हजार 846 हो गई है। कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान भी निरंतर जारी है। लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वदेश

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–तेज एक्सप्रेस पृष्ठ 02 दिनांक 20/03/2021

शास्त्री नगर में सोमवार से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

रतलाम। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे। आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 1,22000/- व जलकर 29,280/-, तिरूपति षिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल षिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2,47,000/- व जलकर 64,780/-, बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4,92,000/- व जलकर 66,715/-, रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1,60,000/- व जलकर 34,340/-, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास षिविर में संपत्तिकर 2,30,000/- व जलकर 44,230/-, धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 2,07,000/- व जलकर 33,940/-, जूनि कोर्ट किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 1,84,000/- व जलकर 56,350/-,आनन्द कालोनी षिविर मे संपत्तिकर 86,000/- व जलकर 35,140/-, प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1,16,000 व जलकर 57,670/-, महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 69,000/- व जलकर 21,185/-, पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 3,50,000/- व जलकर 66,865/-, चौगानिया भेरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 1,15,000/- व जलकर 25,865/-, सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर 2,42,000/- व जलकर 70,400/-, चौमुखील पुल षिविर में संपत्तिकर 4,70,000/- व जलकर 43,925/-, बजाज खाना गणेष देवरी षिविर में संपत्तिकर 94,000/- व जलकर 12,730/- की राषि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित षिविरों में 60,70,144/- संपत्तिकर व 13,16,890/- जलकर की राषि जमा कराई। वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है। निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

तेज एक्सप्रेस 20/3/21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– इन्दोर समाचार पृष्ठ 05 दिनांक 19/03/...2021

वार्ड क्रमांक 1 व 29 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड, नगर के 14 वार्डो बने जीरो वेस्ट वार्ड

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मिल रहा भरपुर सहयोग

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 18 मार्च गुरूवार से वार्ड क्रमांक 01 व 29 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1, 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 41 व 44 में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पहुंचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटनी कर एकत्रित किया गया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टेंचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लब्स, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा। गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये।

इन्दौर-19

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

निगम आयुक्त झारिया ने बैठक में दिये निर्देश

सिंघम रिपोर्टर ☐ रतलाम

गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्हड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये।

संबल योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर 5 को कारण बताओ सूचना-पत्र- रतलाम। संबल योजना के कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने व सूचना दिये जाने के उपरान्त भी 17 मार्च बुधवार को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लेखापाल सहित 4 कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया।

सिंघम-19

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित-निगम आयुक्त

रतलाम। गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है। नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्हड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये। बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिस्पोजेबल आयटमों के विक्रय, भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देषित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देषित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्हड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिस्पोजेबल आयटमों के विक्रय, भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देष संबंधित को दिये।

पॉलिथीन का उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

रतलाम। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलिथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलिथीन उपयोग करने पर राकेश ज्यूस गीता मंदिर रोड पर 2500, परीणित जैन धानमण्डी पर 1500, हरिश अग्रवाल शहर सराय पर 500, मुन्नाभाई, राजकमल, हीराबाई, राजूबाई नौलाईपुरा, अब्दुल रज्जाक कोर्ट तिराहा पर 100-100 रुपए का स्पॉट फाईन कर 18 किलो पॉलिथीन जब्त की गई।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–अग्निबाण–पृष्ठ ..18.. दिनांक ..19/03/..2021

मास्क पहनो वरना खुली जेल होगी, जांच के बाद ही छोड़ा जाएगा

कोरोना कंट्रोल के लिए बढ़ाई जा रही सख्ती

* रतलाम

कोरोना के बढ़ते मामलों पर कंट्रोल करने के लिए जिले में सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब यह तय कर लिया गया है कि मास्क पहनने में लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हे खुली जेल में रखा जाएगा। फिर जब तक जांच नहीं होगी तब नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में मास्क लगाना बेहद जरुरी कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही हर दिन 600 लोगों की सेंपलिंग करने के निर्देश भी स्वास्थ्य अमले को दिए गए है।

प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सैम्पलिंग कराने के निर्देश

रतलाम जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, एडीएम श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम जावरा राहुल धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कालेज डीन डॉ.शशि गांधी, सीएमएचओ डॉ.प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। मंदसौर सांसद डा. सुधीर गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रुप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रुप से बन्द किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सेम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। अत: विवाह समारोह आदि में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए। कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था मे पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रुप में आयोजित किया जा सकेगा जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विधायक श्री काश्यप ने शहर में बिगड़ती ट्राफिक व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने नगर पालिक निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में खुदाई कार्य से पूर्व जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाते हुए अनुमति ली जाए एवं इसके बाद ही खुदाई सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाए। खुदाई करवाने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में होने वाली खुदाई के बारे में सूचना प्रकाशित करवाई जाए ताकि लोगों को पूर्व सूचना मिले तथा किसी प्रकार की परेशानी न हो। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिले में कोरोना संक्रमण के आकड़े लगातार बढ़ रहे है और इस महीने के दस दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मार्च के 18 दिनों में 280 नए मरीज मिले है जिनमें से 82 स्वस्थ हुए और दो की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 222 पर पहुंच गई है और कल गुरुवार को तो एक दिन में सर्वाधिक 39 नए मामले सामने आए है।

प्रतिदिन 600 लोगों की सैम्पलिंग कराने के निर्देश

कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। आगामी समय में रेलवे स्टेशन पर खासकर बड़ौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रुप से की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सैम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि वे जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें।

शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने जारी की नवीन गाईड लाइन

रतलाम। कोविड-19 बीमारी को डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में रतलाम शहर में प्रतिदिन कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। इसके संबंध में आज शुक्रवार को शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत और सीएसपी हेमंत सिंह चौहान ने आज कंट्रोल रूम पर रतलाम के होटल एवं मैरिज गार्डन संचालकों से बैठक आयोजित की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। उक्त कार्यक्रम के लिए प्रशासन से परमिशन की आवश्यकता होगी तथा शासन द्वारा निर्धारित कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार कार्यक्रम किया जाएगा। आयोजन के दौरान मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। कार्यक्रम में एक समय में बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत एवं खुले मैदान में 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। उक्त गाइड लाइन का पालन नहीं किए जाने पर आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बिना मास्क मिले 69 व्यक्तियों पर लगाया जुर्माना

रतलाम | कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को बिना मास्क पहने ट्रेनों में सफर कर रहे, प्लेटफॉर्म, स्टेशन और डीआरएम ऑफिस परिसर में घूम रहे 69 व्यक्तियों पर 6900 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई एडीआरएम केके सिन्हा के सुपरविजन में टिकट चेकिंग और आरपीएफ स्टॉफ ने शाम 6.30 से रात 8.30 बजे तक की। डीआरएम विनीत गुप्ता ने बताया कार्रवाई निरंतर चलेगी।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– पत्रिका ––पृष्ठ ..11.. दिनांक..20/03/..2021

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

नगर निगम ने अनुपस्थित 19 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए अब कठोर हो गया है। एक तरफ गंदगी करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला गया है दूसरी तरफ निगम अपने लापरवाह कर्मचारियों को भी दंडित कर रहा है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया स्वयं वार्डों में जाकर निरीक्षण कर रहे है व अनुपस्थित पाए जाने पर कर्मचारी का वेतन काट रहे हैं। गुरुवार देर शाम तक आयुक्त ने निरीक्षण किया व शुक्रवार को इस तरह 19 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए है जो काम पर नहीं पाए गए।

नगर निगम के चारों झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में गुरुवार को बिना सूचना के 19 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त झारिया ने एक दिन का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। आयुक्त झारिया ने बताया कि स्वच्छता अभियान के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

20/3/21 पत्रिका

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दबंग दुनिया पृष्ठ 15 दिनांक 20/03/2021

48 घंटे में अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई तो आंदोलन

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण करने के लिए तीन स्तर पर ज्ञापन दिया गया।

संघर्ष समिति सदस्य विजय खरे, राम कल्याणे, संजय पेमाल, कमल भाटी, कमल शिंदे, अमर चौहान आदि ने बताया कि नगर निगम आयुक्त, एसपी और विधायक के नाम ज्ञापन सौंपकर आगामी 48 घंटे में अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है।

अनुपस्थित 19 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारो जोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 18 मार्च को बिना सूचना के 19 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिन का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

दबंग – 20

पत्रिका

शिविर

शास्त्री नगर में सोमवार से बकाया वसूली शिविर

अब तक 60,70,144 रुपए संपत्तिकर व 13,16,890 रुपए जलकर जमा हुआ

20/3/21

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे। इन शिविर में नगर निगम के पास अब तक 60,70,144 रुपए संपत्तिकर व 13,16,890 रुपए जलकर जमा हुआ है। निगम सोमवार से शहर के शास्त्री नगर में शिविर का आयोजन करेगा।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000 व जलकर 6,000, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा में संपत्तिकर 1,40,000 व जलकर 55,775, अम्बे माता जवाहर नगर में संपत्तिकर 2,38,000 व जलकर 49,010, विनोबा नगर में संपत्तिकर 1,29,000 व जलकर 43,670, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल में संपत्तिकर 1,22000 व जलकर 29,280, तिरूपति में संपत्तिकर 77,000 व जलकर 19,850, कोमल नगर में संपत्तिकर 1,27,000 व जलकर 48,220, मार्निंग स्टार स्कूल में संपत्तिकर 1,12,000 व जलकर 14,000, कस्तुरबा नगर में संपत्तिकर 5,47,000 व जलकर 86,540, प्रियदर्शनी नगर में संपत्तिकर 1,02,000 व जलकर 3,76,905, डोंगरे नगर में संपत्तिकर 1,82,500 व जलकर 76,470, हाट रोड में संपत्तिकर 68,000 व जलकर 47,595, कलीमी कालोनी में संपत्तिकर 1,17,000 व जलकर 22,680, राजेन्द्र नगर में संपत्तिकर 1,01,644 व जलकर 55,320, काटजू नगर में संपत्तिकर 2,76,000 व जलकर 59,500, वैदव्यास कालोनी में संपत्तिकर 26,62,144 व जलकर 6,71,025, कल्याण नगर में संपत्तिकर 71,000 व जलकर 19,000, दीनदयाल नगर में संपत्तिकर 2,47,000 व जलकर 64,780, बोहरा बाखल में संपत्तिकर 4,92,000 व जलकर 66,715, रामगढ़ में संपत्तिकर 1,60,000 व जलकर 34,340, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास में संपत्तिकर 2,30,000 व जलकर 44,230, धानमण्डी में संपत्तिकर 2,07,000 व जलकर 33,940, जूनि कोर्ट में संपत्तिकर 1,84,000 व जलकर 56,350, आनन्द कालोनी में संपत्तिकर 86,000 व जलकर 35,140, प्रताप नगर में संपत्तिकर 1,16,000 व जलकर 57,670, महावीर नगर में संपत्तिकर 69,000 व जलकर 21,185, पैलेस रोड में संपत्तिकर 3,50,000 व जलकर 66,865, चौगानिया भेरू मंदिर शिविर में संपत्तिकर 1,15,000 व जलकर 25,865, सायर चबुतरा में संपत्तिकर 2,42,000 व जलकर 70,400, चौमुखील पुल में संपत्तिकर 4,70,000 व जलकर 43,925, बजाज खाना गणेष देवरी में संपत्तिकर 94,000 व जलकर 12,730 की राशि जमा कराई।

यहां होंगे शिविर

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में शिविर आयोजित किये गये है।

इंटकवेल का ट्रांसफार्मर जला, आपूर्ति चरमराई

लगातार तीसरे दिन भी गड़बड़ाया शहर में जलप्रदाय, कस्तूरबा नगर टंकी से नहीं हुई 10 इलाकों में सप्लाई

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शुक्रवार को कस्तूरबा नगर टंकी से जुड़े दस से ज्यादा इलाकों के रहवासियों को बिना पानी के दिन गुजारना पड़ा। इनमें मोहननगर, कस्तूरबा नगर, शक्ति नगर, एमपी नगर, टेलीफोन नगर, मनीष नगर, तुलसी नगर, सज्जन मिल चाल सहित अन्य इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अलकापुरी व उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में भी पानी नहीं बंटा। वजह धोलावड़ डेम के पुराने इंटकवेल का ट्रांसफार्मर जलना रही। इस कारण दोनों पंप ढाई घंटे सुबह 4 से 6.30 बजे तक बंद रहे। इसके बाद चालू हुए तो शहर तक पानी पहुंचने में दो घंटे लग गए। इस लगभग 4.30 घंटे की रुकावट से कस्तूरबा नगर टंकी नहीं भर पाई।

बजरंग नगर में सड़क पर खाली बर्तन रखकर पानी के टैंकर का इंतजार करते रहवासी। फोटो | चिंटू मेहता

जला ट्रांसफार्मर - सुबह करीब 5.45 बजे जैसे ही रावटी फीडर से कनेक्शन जुड़ा तो इंटकवेल का ट्रांसफार्मर जल गया। कंपनी ने वापस रतलाम फीडर से जोड़ा तब जाकर पंप चालू हो पाए।

रहवासी टैंकरों के भरोसे - उधर बजरंग नगर, पारदी मोहल्ला, राजीव नगर में नगर निगम को टैंकरों से पानी भिजवाना पड़ रहा है। पूर्व पार्षद रजनीकांत व्यास ने यह बताया।

समस्या आई- जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन नहीं होकर समस्या आ रही है, वहां टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं।
- सत्यप्रकाश आचार्य, जलप्रदाय इंजीनियर

भास्कर

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार- अपनी दुनिया पृष्ठ ..22 दिनांक 20/03/...2021

ग्रामीणजन शहर आएं तो बिना मास्क के न निकलें

मास्क जीवन बचाने का साधन है-विधायक श्री काश्यप

कलेक्टर श्री डाड ने जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्देश दिए

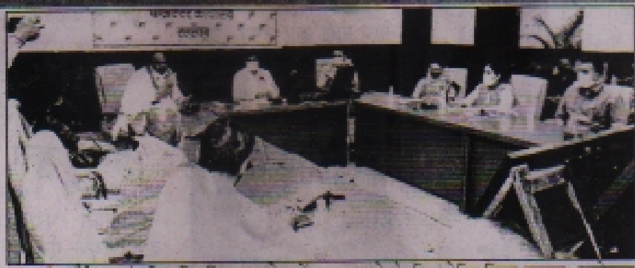

रतलाम। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, एडीएम श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम जावरा राहुल धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कालेज डीन डा. शशि गांधी, सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। मंदसौर सांसद डा. सुधीर गुप्ता वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रुप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10.00 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रुप से बन्द किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सेम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। अंत-विवाह समारोह आदि में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए। कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था में पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रुप में आयोजित किया जा सकेगा जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। आगामी समय में रेलवे स्टेशन पर खासकर बड़ौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रुप से की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि वे जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें। विधायक श्री काश्यप ने शहर में बिगड़ती ट्राफिक व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने नगर पालिक निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में खुदाई कार्य से पूर्व जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाते हुए अनुमति ली जाए एवं इसके बाद ही खुदाई सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाए। खुदाई करवाने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में होने वाली खुदाई के बारे में सूचना प्रकाशित करवाई जाए ताकि लोगों को पूर्व सूचना मिले तथा किसी प्रकार की परेशानी न हो। एसडीएम जावरा श्री धोटे ने बताया कि जावरा में चहल्लुम क्षेत्र में होली के समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर श्री डाड ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम को निर्देशित किया कि मौका-मुआयना कर उचित कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर महेन्द्र गादिया, गोविन्द काकानी, झमक भरगट, मनोज झालानी, डा. गौरव बोरीवाल, डा. प्रमोद प्रजापति, सुरेन्द्र चत्तर, सुरेन्द्र सुरेका, संजय पारख, अमित अग्रवाल, आशीष पालीवाल, राजेश दरख, जगदीश मंत्री, अजय भण्डारी, राजेश जैन आदि उपस्थित रहे।

अपनी दुनिया 20

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– तेज एक्सप्रेस पृष्ठ ..19.. दिनांक....19/03/2021

मास्क जीवन बचाने का साधन है - विधायक श्री काश्यप

कलेक्टर श्री डाड ने जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्देश दिए - जिले के नागरिक बिना मास्क के बाजार में निकले

रतलाम । रतलाम जिले में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण से बचाव के लिए सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक श्री चेतन्य काश्यप, कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, एडीएम श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम जावरा श्री राहुल धोटे, एसडीएम शहर श्री अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कालेज डीन डा. शशि गांधी, सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। मंदसौर सांसद डा. सुधीर गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रुप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10.00 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रुप से बन्द किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सेम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। अतः विवाह समारोह आदि में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए।

कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था मे पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रुप में आयोजित किया जा सकेगा जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोडा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। आगामी समय में रेलवे स्टेशन पर खासकर बडौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रुप से की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि वे जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें।

विधायक श्री काश्यप ने शहर में बिगडती ट्राफिक व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने नगर पालिक निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में खुदाई कार्य से पूर्व जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाते हुए अनुमति ली जाए एवं इसके बाद ही खुदाई सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाए। खुदाई करवाने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में होने वाली खुदाई के बारे में सूचना प्रकाशित करवाई जाए ताकि लोगों को पूर्व सूचना मिले तथा किसी प्रकार की परेशानी न हो।

एसडीएम जावरा श्री धोटे ने बताया कि जावरा में चहलुम क्षेत्र में होली के समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर श्री डाड ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम को निर्देशित किया कि मौका–मुआयना कर उचित कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर श्री महेन्द्र गादिया, श्री गोविन्द काकानी, श्री झमक भरगट, श्री मनोज झालानी, डा. गौरव बोरीवाल, डा. प्रमोद प्रजापति, श्री सुरेन्द्र चत्तर, श्री सुरेन्द्र सुरेका, श्री संजय पारख, श्री अमित अग्रवाल, श्री आशीष पालीवाल, श्री राजेश दरख, श्री जगदीश मंत्री, श्री अजय भण्डारी, श्री राजेश जैन आदि उपस्थित रहे।

19/5

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार [illegible] पृष्ठ 08 दिनांक 20/03/2021

श्रीराम प्लास्टिक से 750 किलो पॉलीथीन जब्त कर 10,000 का किया जुर्माना

रतलाम । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

इण्डस्ट्रीज एरिया स्थित श्रीराम प्लास्टिक द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का निर्माण करने पर निगम के स्पॉट फाईन दल ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार 10 हजार का जुर्माना कर 750 किलो पॉलीथीन जब्त की साथ ही सांई लीला इण्डस्ट्रीज को सील किया गया। इसके अलावा खुले में गंदगी करने पर नाहरपुरा क्षेत्र में श्री रेडियो पर 500 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाष षिन्दे, राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

750 किलो पॉलीथिन जब्त, 10 हजार का जुर्माना लगाया

20/3-21

रतलाम। शासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशा नुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। इण्डस्ट्रीज एरिया स्थित श्रीराम प्लास्टिक द्वारा 50 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन का निर्माण करने पर निगम के स्पॉट फाईन दल ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार 10 हजार का जुर्माना कर 750 किलो पॉलीथीन जब्त की साथ ही साई लीला इण्डस्ट्रीज को सील किया गया। इसके अलावा खुले में गंदगी करने पर नाहरपुरा क्षेत्र में श्री रेडियो पर 500 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्व%छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित 25 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम । निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 17 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 25 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

लापरवाही बरतने पर 5 को कारण बताओ सूचना–पत्र

रतलाम । संबल योजना के कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने व सूचना दिये जाने के उपरान्त भी 17 मार्च बुधवार को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने लेखापाल सहित 4 कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया। संबल योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर पर जगदीश पांचाल–लेखापाल, दिनेश राठौर व सुश्री दुर्गा शर्मा सहायक वर्ग–3, प्रदीप उपाध्याय व अंजनीप्रसाद मिश्रा सहायक राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

19 चेतना

25 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डो में 17 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 25 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

इन्दौर–19

अनुपस्थित 25 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डो में 17 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 25 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

पीपुल्स–19

अनुपस्थित 19 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम । निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 18 मार्च को बिना सूचना के 19 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अनुपस्थित 19 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारों झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 18 मार्च गुरुवार को बिना सूचना के 19 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थायी कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अनुपस्थित 19 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम । निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 18 मार्च को बिना सूचना के 19 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अनुकंपा नियुक्ति मामला, समिति ने खोला मोर्चा

पदाधिकारी बोले 48 घंटे में नियुक्ति नहीं दी तो आंदोलन के लिए रहें तैयार

लगातार

पत्रिका

पत्रिका में प्रकाशित

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क 20/3/21
patrika.com

रतलाम. नगर निगम के संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति की अपील पर आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो सकती है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बीच ऐसा होने पर बड़ा झटका नगर निगम को लगेगा। समिति के सदस्यों ने अनुकंपा नियुक्ति में हो रहे भेदभाव के खिलाफ इसी आशय की चेतावनी शुक्रवार को आयुक्त के नाम ज्ञापन कार्यालय अधीक्षक को दिया है। पत्रिका ने इसी मामले का खुलासा शुक्रवार को किया है।

समिति के पदाधिकारी व सदस्य राम कल्याणे, विजय खरे, संजय पेमाल, कमल भाटी, कमल शिंदे, अमर चौहान ने कार्यालय अधीक्षक रामचंद्र शर्मा को दिए गए ज्ञापन में बताया कि लंबे समय से उनके साथ अनुकंपा नियुक्ति के मामले में भेदभाव हो रहा है। पिछले 5 से 6 वर्षों से कई कर्मचारियों की काम करते हुए मृत्यु हो गए, लेकिन उनके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। जबकि बीते 5 से 6 माह में जिनकी मृत्यु हुई उनके परिजन को नौकरी दी जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। सभी को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

असल में नगर निगम में कई कर्मचारी ऐसे है जिनकी की मौत हुई लेकिन अब तक उनके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। इसके लिए नगर निगम का स्थापना विभाग जिम्मेदार है। अब आरपार की लड़ाई की जाएगी। 48 घंटे में अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी तो सोमवार से आंदोलन होगा।

अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण किया जाए

नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपा

प्रकाश न्यूज़ • रतलाम

नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा नगर निगम प्रशासक के बाबू एवं नगर विधायक को एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एवं आयुक्त के नाम ओएस कार्यालय के बाबू रामचंद्र शर्मा को ज्ञापन दिया।

मांग की है कि 48 घंटे में समस्त अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण कराया जाए, अन्यथा संघर्ष समिति करेगी।

चरणबद्ध आंदोलन संघर्ष समिति सदस्य विजय खरे, राम कल्याणे, संजय पेमाल, कमल भाटी, कमल शिंदे, अमर चौहान आदि क्षेत्रों कार्यकर्ता मौजूद थे।

प्रकाश 20/3

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार अग्निबाण –पृष्ठ 23 दिनांक 19/03/2021

-राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को दिया निर्देश

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की तैयारी एक साथ करें

भोपाल, अग्निबाण संवाददाता

नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन की तैयारी एक साथ करें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दुर्ग विजय सिंह ने यह बात जिले के अधिकारियों के स्थानीय निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में कही। प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। सिंह ने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी और प्रतीक आवंटन के संबंध में सभी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि

आयोग द्वारा चाही गयी जानकारी तुरन्त उपलब्ध करवायें। सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण बार-बार नहीं होगा। अतः जो बातें आज बतायी जा रही हैं, उन्हें ध्यान से सुनें। पूरी प्रक्रिया में कोविड-19 की गाइड लाइन का शत-प्रतिशत पालन हो। प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स डॉ. समीरा नईम और अजय काले ने निर्वाचन की घोषणा के बाद की जाने वाली कार्यवाही और आदर्श आचरण संहिता के बारे में बताया। दीपक पाण्डे ने नाम निर्देशन-पत्रों की प्रस्तुति, संवीक्षा, और प्रतीक आवंटन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षण में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आईईएमएस सहित निर्वाचन संबंधी अन्य आईटीटूल्स और एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी गयी। इस दौरान उप सचिव अरुण परमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अग्निबाण 19

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की तैयारी एक साथ करें

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग-दुर्ग विजय सिंह

रतलाम। नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन की तैयारी एक साथ करें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दुर्ग विजय सिंह ने यह बात जिले के अधिकारियों के स्थानीय निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में कही। प्रशिक्षण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। श्री सिंह ने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी और प्रतीक आवंटन के संबंध में सभी तैयारियाँ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा चाही गयी जानकारी तुरन्त उपलब्ध करवायें। श्री सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण बार-बार नहीं होगा। अतः जो बातें आज बतायी जा रही है, उन्हें ध्यान से सुनें। पूरी प्रक्रिया में कोविड-19 की गाइड लाइन का शत-प्रतिशत पालन हो।

प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स डॉ. समीरा नईम और श्री अजय काले ने निर्वाचन की घोषणा के बाद की जाने वाली कार्यवाही और आदर्श आचरण संहिता के बारे में बताया। श्री दीपक पाण्डे ने नाम निर्देशन-पत्रों की प्रस्तुति, संवीक्षा, और प्रतीक आवंटन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षण में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आई.ई.एम.एस. सहित निर्वाचन संबंधी अन्य आई.टी.टूल्स और एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी गयी। इस दौरान उप सचिव श्री अरुण परमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अपनी दुनिया 20

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार नईदुनिया –पृष्ठ 07 दिनांक 20/03/2021

साईं लीला इंडस्ट्रीज को किया सील

नगर निगम ने की कार्रवाई, श्रीराम प्लास्टिक से 750 किलो पालीथिन बरामद

साईं लीला इंडस्ट्रीज को सील करते हुए निगमकर्मी। ● नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगरीय क्षेत्र में 50 माइक्रान से कम मोटाई की पालीथिन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किए जाने के तहत कलेक्टर व प्रशासक नगर निगम रतलाम गोपालचंद्र डाड तथा निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इंडस्ट्रीज एरिया स्थित श्रीराम प्लास्टिक द्वारा 50 माइक्रान से कम मोटाई की पालीथिन का निर्माण करने पर निगम के स्पाट फाइन दल ने 10 हजार रुपये का जुर्माना कर 750 किलो पालीथिन बराम की। साथ ही साईं लीला इंडस्ट्रीज को सील किया गया। इसके अलावा खुले में गंदगी करने पर नाहरपुरा क्षेत्र में श्री रेडियो पर 500 रुपये का स्पाट फाइन किया गया।

जुर्माने की कार्रवाई प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिंदे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किए जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। नईदुनिया

निगम आयुक्त ने बैठक में दिए निर्देश

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम

गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिस्पोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है। नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्हड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर राकेश ज्यूस गीता मंदिर रोड पर 2500, परीचित जैन धानमण्डी पर 1500, हरीश अग्रवाल शहर सराय पर 500, मुन्नाभाई, राजकमल, हीराबाई, राजूबाई नीलाईपुरा, अब्दुल रज्जाक कोर्ट तिराहा पर 100–100 रूपये का स्पॉट फाईन कर 18 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। अग्निबाण/19

नगर के 14 वार्ड बने जीरो वेस्ट वार्ड

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 18 मार्च गुरुवार से वार्ड क्रमांक 01 व 29 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– दबंग दुनिया पृष्ठ 20 दिनांक 19/03/2021

मास्क, सेनेटाईजेशन और शारीरिक दूरी का करना होगा पालन

आयोजनों में 100 से ज्यादा लोगों के लिए लेनी होगी अनुमति

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच रतलाम फिर से हाट सेंटर बनता जा रहा है। प्रदेश ही नहीं देशभर में कोरोना के मरीजों के बढ़ने की रफ्तार में रतलाम अव्वल नंबर पर आता जा रहा है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में एक बार फिर से जिले में सख्ती बढ़ाने का निर्णय किया गया है। विधायक चेतन्य काश्यप ने बैठक में कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रूप से बंद किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सेम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए।

बैठक में कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, सीईओ जिपं मीनाक्षीसिंह, एडीएम जमुना भिड़े, एसडीएम जावरा राहुल

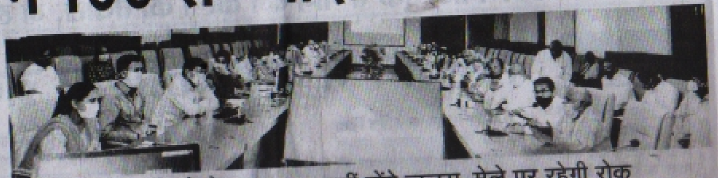

धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कॉलेज डीन डा. शशि गांधी, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे मौजूद रहे। मंदसौर सांसद डॉ. सुधीर गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए। श्री काश्यप ने कहा कि स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। सीएमएचओ को निर्देशित किया गया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि ये जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें।

नहीं होंगे जुलूस, मेले पर रहेगी रोक

कलेक्टर ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था मे पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। रेलवे स्टेशन पर बड़ौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए।

खुदाई और ट्रैफिक पर जताई चिंता

विधायक ने शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने नगर पालिक निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में खुदाई कार्य से पूर्व जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाते हुए अनुमति ली जाए एवं इसके बाद ही खुदाई कार्य आरम्भ किया जाए। इस अवसर पर महेन्द्र गादिया, गोविन्द काकानी, झमक भरगट, मनोज झालानी, डा. गौरव बोरीवाल, डा. प्रमोद प्रजापति, सुरेन्द्र चत्तर, सुरेन्द्र सुरेका, संजय पारख, अमित अग्रवाल, आशीष पालीवाल, राजेश दरख, जगदीश मंत्री, अजय भण्डारी, राजेश जैन आदि उपस्थित रहे।

जावरा चेहल्लुम में बाहर से नहीं आएंगे लोग

एसडीएम जावरा ने बताया कि जावरा में चहल्लुम क्षेत्र में होली के समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम को निर्देशित किया कि मौका–मुआयना कर उचित कार्यवाही की जाए। GEN21-19

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–नईदुनिया–पृष्ठ 17 दिनांक 20/03/2021

19 दिन में 319 मामले, फरवरी में 74 मिले थे, 247 एक्टिव मरीज

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। इस साल जिले में कोरोना संक्रमण की सबसे तेज रफ्तार मार्च माह में है। हालात बिगड़ने लगे हैं। इसका अंदाजा एक्टिव मरीजों की संख्या से लगाया जा सकता है जो 247 हो गई है। इस महीने के 19 दिन में 319 नए मामले मिले हैं जबकि फरवरी में 74 ही मिले थे।

मार्च में संक्रमण की गति पांच गुना बढ़ गई है। और स्वस्थ भी कम हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लापरवाही पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है। मौसम में आए बदलाव के साथ दूसरी बीमारियां भी पैर पसारने लगी हैं। कोरोना प्रोटोकाल, मास्क लगाना, शारीरिक दूरी का पालन, बार हाथ धोते रहना या सैनिटाइजर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। कोशिश यह भी होना चाहिए कि जरूरी होने पर ही भीड़ वाले स्थानों में जाएं। शहर में अभी भी 50 प्रतिशत लोग बिना मास्क के भीड़ में घूमते नजर आ रहे हैं। यही लापरवाही संक्रमण को रफ्तार दे रही है। शुक्रवार को 602 रिपोर्ट में 39 नए पाजिटिव मिले। अब संक्रमितों की कुल संख्या 4746 पहुंच गई और 14 नए मरीजों के डिस्चार्ज होने पर कुल 4415 स्वस्थ हुए, जबकि 84 मौत हुईं। मार्च के 19 दिन में 319 नए मरीज मिले और 96 स्वस्थ हुए।

रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क वाले यात्री से जुर्माना वसूलते हुए रेलकर्मी। • नईदुनिया

200 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे

शुक्रवार को शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत और सीएसपी हेमंत सिंह चौहान ने कंट्रोल रूम पर शहर के होटल एवं मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। ऐसे कार्यक्रम के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। कार्यक्रम में एक समय में बंद हाल में क्षमता का 50 प्रतिशत व खुले मैदान में 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

69 यात्रियों से वसूला जुर्माना

कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। टिकट चेकिंग स्टाफ के पांच कर्मचारी

व छह आरपीएफ जवानों के साथ एडीआरएम केके सिन्हा के साथ डीसीएम ने शाम साढ़े छह से रात साढ़े आठ बजे तक अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वाले 69 यात्रियों से 6900 रुपये का जुर्माना वसूला।

आज 8080 का लक्ष्य

जिले में शनिवार को कोविड टीकाकर होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु व 4 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह के बीमा से पीड़ित व्यक्ति सुबह नौ बजे से शा पांच बजे तक जन्म तारीख दर्शाने वा आइडी दिखाकर आन स्पाट बुकि कराकर सीधे टीका लगवा सकें शनिवार को 8080 लोगों को एक दि में टीके लगाने का लक्ष्य तय किया ग है। टीके लगाने के लिए पच्चीस प्रतिश स्थान आनलाइन बुकिंग लिए आरक्षि हैं। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में भी इ आधार पर टीके लगेंगे। शासकी अस्पतालों में टीकाकरण पूरी त निशुल्क है।

वार्ड क्रमांक 35 व 39 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड

प्रसारण न्यूज़ ◆ रतलाम

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 1, 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है, वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 19 मार्च शुक्रवार से वार्ड क्रमांक 35 व 39 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1, 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 35, 39, 41 व 44 में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पहुंचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किए गए सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटनी कर एकत्रित किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन-यापन करने के लिए अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रैंचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिए निगम द्वारा एप्रीन, ग्लवस, मास्क आदि उपलब्ध कराए गए है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– अवन्तिका –पृष्ठ 13 दिनांक 20/03/2021

733 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

20-3-21

रतलाम। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 18 मार्च तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 733 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 18 मार्च गुरूवार को जवाहर नगर, गांधी नगर व काटजू नगर से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये। शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नही तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

अवन्तिका

733 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे शहर में गंदगी होती है। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 18 मार्च तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 733 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 18 मार्च गुरूवार को जवाहर नगर, गांधी नगर व काटजू नगर से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गए। शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाए जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जाएगा, इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है, वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है, तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जाएगी।

प्रभात

20/3-21 पत्रिका

सूचना के बाद भी निगम के इंजीनियर ठीक नहीं करवा रहे

अनदेखी : महिला सुविधाघर का एक पखवाड़े से दरवाजा टूटा

रतलाम. अधिक दिन नहीं हुए है जब नगर निगम ने यह दावा किया है कि शहर ओडीएफ प्लस प्लस हुआ है। लेकिन नगर निगम के इस दावे की हकीकत शहर का अल्पसंख्यक मोहल्ला रहमत नगर खोल रहा है। यहां पर करीब डेढ़ हजार की आबादी है, लेकिन सुविधाघर में महिलाओं के लिए जो दरवाजा है वो एक पखवाड़े से टूटा हुआ है।

शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर एक तरफ नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैदानी कसरत कर रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम सहित सामाजिक संगठन को भी उन्होंने झौंक रखा है। इसके बाद भी उनके ही मातहत स्वच्छता अभियान को पलीता लगाने से नहीं चुक रहे हैं। शहर के रहमत नगर में डेढ़ हजार की आबादी वाले क्षेत्र में महिला

सुविधाघर का दरवाजा टूटा हुआ है।

मांग भी पूरी नहीं

क्षेत्र की आमना बी, रेशमा बी, गुलसुम बी, शहजादी बी सहित कई महिलाओं ने कहा कि हमने चार माह पहले सुविधाघर में बिजली लगाने की अर्जी दी थी, वो भी पूरी नहीं हुई है। नगर निगम में देखने वाले इंजीनियर सिद्धार्थ सोनी के अनुसार तकनीकी समस्या के चलते काम शुरू नहीं हो पाया, इसकी फाइल चल गई है, जल्दी ही बिजली कनेक्शन हो जाएगा। दूसरी तरफ दरवाजे को दुरस्त करवाने वाले इंजीनियर मनीष तिवारी के अनुसार उनको पहली बार पता चला है, तुरंत दुरस्त करवाएंगे।

महिला सुविधाघर का दरवाजा एक पखवाड़े से टूटा है तो गंभीर मामला है। इसको तुरंत दुरस्त करवाने के निर्देश दिए जा रहे है। दो दिन में ठीक नहीं हुए तो संबंधीत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेंगे। **- सोमनाथ झारिया**, आयुक्त नगर निगम